

प्ररूप सं. 12ख*

[नियम 26क देखिए]

धारा 192(2) के अधीन 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में आय के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप कर्मचारी का नाम और पता

¹[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]

निवासीय प्रास्थिति

क्रम संख्यांक	नियोजक (नियोजकों) का/के नाम और पता/पते	आय-कर अधिकारी द्वारा आबंटित किया गया नियोजक का (नियोजकों के) अस्थायी खाता संख्यांक	नियोजक का (नियोजकों के) स्थायी खाता संख्यांक	नियोजन की अवधि	धारा 17 में यथापरिभाषित वेतन की विशिष्टियां जो वर्ष के दौरान कर्मचारी को संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए देय हो			स्तंभ 6, 7 और 8 का योग	जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि अभिदाय, आदि की बाबत, जिनको धारा 80गं लागू होती है, कटौती की गई (ब्यौरे दें)	वर्ष के दौरान काटे गए कर की कुल रकम (धारा 203 के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र संलग्न करें)	टप्पणिया	
					स्तंभ 7 और 8 में दर्शाई जाने वाली रकमों को छोड़कर वेतन की कुल रकम	कर से प्रभार्य सीमा तक मकान किराए भते, यात्रा भते और अन्य भतों की कुल रकम [नियम 2क के साथ पठित धारा 10(13क) और 10(14) देखिए]	परिलब्धियों का मूल्य और कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अनुवृद्धि की रकम (उपाबंध में पूरा ब्यौरा दें)					

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

.....
कर्मचारी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कथन किया गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आज तारीख को सत्यापित किया गया।

स्थान

.....
कर्मचारी के हस्ताक्षर

उपाबंध

[प्ररूप सं. 12ख का स्तंभ 8 देखिए]

परिलब्धियों के मूल्य और कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अनुवृद्धि की रकम की विशिष्टियां

कर्मचारी का नाम और पता

स्थायी खाता संख्यांक

अवधि : 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष

कर्मचारी का	नियोजक का	किराया मुक्त वास-सुविधा का मूल्य या नियोजक द्वारा उपलब्ध कराई गई वास-सुविधा के लिए किराए में दी गई किसी रियायत का मूल्य (संगणना का आधार बताएं) [नियम 3(क) और 3(ख) देखिए]									
नाम	अस्थायी खाता संख्यांक/ 1[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]	जहाँ निवास स्थान सुसज्जित है									
		जहाँ निवास-स्थान असुसज्जित है	मूल्य, मानो निवास-स्थान असुसज्जित है	फर्नीचर की लागत (टेलिविजन सेटों, रेडियो सेटों, रेफ्रिजरेटर्स, अन्य घरेलू साधनों और वातानुकूलन संयंत्र या उपस्कर सहित) या किराया प्रभार, किसी तीसरे पक्षकार से किराए पर लेने की दशा में	फर्नीचर का परिलब्धि मूल्य (स्तंभ 5 का 10%) या सदेय वास्तविक किराया प्रभार	स्तंभ 4 और 6का योग	नियोजक द्वारा संदेत किराया, यदि कोई हो	परिलब्धि का मूल्य (स्तंभ 3 से स्तंभ 8 घटाकर या स्तंभ 7 से स्तंभ 8 घटाकर जो भी लागू हो			

2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

10	11	12	13	14	15	16

.....

कर्मचारी के हस्ताक्षर